I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB ROHTAK **Year (वर्ष):** 2018

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0011 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 27/07/2018 12:47 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	447
3	IPC 1860	448

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 27/07/2018 **Time (समय):** 11:50 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 009 **Date and Time (दिनांक और समय):** 27/07/2018 12:13 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): VPO ATERNA, NANGAL KALAN SPT,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** Parmila Devi

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 12/07/1976 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	PS SVB ROHTAK, ROHTAK, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	PS SVB ROHTAK, ROHTAK, HARYANA, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-8053882349

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में प्रबन्धक थाना,राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा,रोहतक मण्डल, रोहतक। श्री मान जी,निवेदन यह है कि जांच क्रमांक 02 दिनांक 16.05.17 सोनीपत हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के पत्र क्रमांक 61/22/2017-2 चौकसी-II दिनांक 23.07.18 की अनुपालना में शिकायतकर्ता विनोद तुषीर वासी नांगल कलां सोनीपत की शिकायत पर दर्ज रजिस्टर की गई थी। जिसमें टी0डी0आई0 कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड सोनीपत ने सैक्टर 58, 59, व 60 को डैवल्प करने के लिए हरियाणा सरकार से लाईसैंस प्राप्त किया था। इन सैक्टरों का ज्यादातर रकबा गांव नागल कलां और गांव अटेरना सब तहसील राई, सोनीपत का है। कम्पनी द्वारा लाईसैंस की आड में गांव की पंचायती जमीन पर जिला प्रशासन से साज-बाज होकर नाजायज कब्जा करने का आरोप था। श्री दीपक कुमार, निरीक्षक रा0चौ0ब्यूरो उपकेन्द्र सोनीपत द्वारा आरोपों की पडताल की गई थी। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत कथनो, प्रलेखों अन्तिम रिपोर्ट व अतिरिक्त महानिदेशक, रा0चौ0ब्यूरो मुख्यालय पंचकुला की टिप्पणी रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया है कि टी0डी0आई0 प्रा0लि0 कम्पनी द्वारा वर्ष 2006 में तहसील राई जिला सोनीपत में हरियाणा डेवलपमेन्ट एण्ड रेजुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट-1975 के तहत शहरी एवं नगर योजनाकार विभाग, हरियाणा से सैक्टर- 58,59 व 60 विकसीत करने के लिए लाईसैन्स प्राप्त करके सैक्टरों को विकसित करने के लिये गांव अटेरना व नांगल कंला तहसील राई जिला सोनीपत की जमीन टी0डी0आई0 कम्पनी प्रा0लि0 द्वारा खरीद की गई थी। गांव नांगल कलां व अटेरना की पंचायती जमीन से टी0डी0आई0 कम्पनी प्रा0लि0 की बेदखली के सम्बन्ध में खण्ड विकास एंव पचांयत अधिकारी, खण्ड राई त0 सोनीपत की दो शिकायतों पर जिला राजस्व अधिकारी एंव सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी, सोनीपत की अदालत में दो मुकदमें 98/डी0आर0ओ0 एंव 91/डी0आर0ओ0 दिंनाक 16.03.12 टी0डी0आई0 कम्पनी प्रा0लि0 के विरूद्ध जेरधारा 7 पंजाब विलैज कॉमन लैड़ एक्ट 1961 के तहत दर्ज किये गये थे। दिनांक 23.04.2013 को उक्त दोनो मुकदमें 98/डी0आर0ओ0 एंव 91/डी0आर0ओ0 को श्री सुरेश कुमार तत्कालीन जिला राजस्व अधिकारी एवं सहायक कलैक्टर, प्रथम श्रेणी सोनीपत द्वारा दफतर दाखिल करने के आदेश दिये थे तथा उक्त मुकदमों में आये फैसले के विरूद्ध श्री नरेश छिक्कारा तत्कालीन खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी ब्लाक राई द्वारा कोई भी अपील नही की गई। जांच पर श्री नरेश छिक्कारा तत्कालीन खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी ब्लाक राई दिनांक 31.10.17 को खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी सांपला (रोहतक) रहते हुये सेवानिवृत हो चुके है। मौ0 युसुफ खान पुत्र लतीफ खान वासी नांगल कलां तह0 व जिला सोनीपत ने एक शिकायत ग्राम पंचायत नांगल कलां की जमीन से टी0डी0आई0 कम्पनी द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटवाने के लिए न्यायालय श्री निशांत कुमार यादव आई0ए0एस0 सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी सोनीपत को दे रखी थी, जिसके सम्बंध में न्यायालय श्री निशांत कुमार यादव आई0ए0एस0 सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी सोनीपत ने दिंनाक 06.01.17 को फैसला में विवादित जमीन पर मालिकाना हक ग्राम पंचायत देह नांगल कलां का पाया जाने पर व टी0डी0आई0 कम्पनी द्वारा किया गया नाजायज कब्जा हटवाने बारे कहा गया। माननीय न्यायालय के इस फैसले के विरूद्ध टी0डी0आई0 कम्पनी द्वारा दिनांक 31.01.17 को न्यायालय जिला कलैक्टर सोनीपत में अपील की जानी पाई गई। जिस पर मुकदमा नं0 51/डी0सी0 दिंनाक 31.01.17 दर्ज है, जो न्यायालय विचाराधीन है। जांच के दौरान तहसील कार्यालय राई से गांव अटेरना व नांगल कलां की विवादित पंचायती जमीन की मशीन द्वारा निशानदेही करवाकर रिपोर्ट प्राप्त करके व रिपोर्ट का अवलोकन करने से व भौतिक निरीक्षण करने से पाया गया कि गांव नांगल कलां की पंचायती जमीन करीब 16,740 वर्ग गज जमीन पर टी0डी0आई0 कम्पनी द्वारा बिल्डिग, ग्रीन बैल्ट, प्लाटिगं एरिया, पावर हाउस, पार्क, पेड-पौधे और पक्की सडके बनाई हुई है तथा गांव अटेरना की विवादित पंचायती जमीन करीब 13,218 वर्ग गज पर कम्पनी द्वारा प्लाटिंग, स्ट्रीट लाईटें, पक्की सडकें,

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

सीवरेज आदि डालकर कब्जा किया जाना पाया गया है। जिसके सम्बन्ध में टी0डी0आई0 कम्पनी द्वारा ग्राम पचायंतो से ना तो कोई अनुमति/लिज/ग्रांट/ॲलाटमैन्ट प्राप्त की है और ना ही पंचायतो ने टी0डी0आई0 कम्पनी के हक में कोई रेजुलेशन पास कर रखा है। इस सम्बंध में महानिदेशक नगर एंव ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा चण्डीगढ से व जिला नगर योजनाकार सोनीपत से रिकार्ड प्राप्त करने पर पाया गया कि सम्बन्धित विभाग द्वारा पंचायती जमीन पर कोई भी निर्माण करने के लिए लाईसैन्स नही दिया जाता। टी0डी0आई0 कम्पनी द्वारा जो नक्शा महानिदेशक नगर एंव ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा चण्डीगढ से पास कराया गया है, उसमें स्पष्ट किया गया है कि पंचायती रास्तो पर किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण कार्य नही किया जाना था। जांच के दौरान कार्यालय सिचांई विभाग हरियाणा से राजपूरा माईनर जो गांव नांगल कलां व गांव अटेरना के साथ लगती है से भी माईनर पर किसी प्राईवेट बिल्डर व अन्य द्वारा नुकसान पहुंचाने/अवैध निर्माण करने बारे रिपोर्ट प्राप्त करने पर पाया गया कि गांव नांगल कलां व गांव अटेरना के साथ लगती 1-एल. राजपूरा माईनर को विभाग द्वारा अबैन्डन घोषित किया हुआ है। जिसकी देख-रेख का कार्य श्री प्रकाश, उप मण्डल अभियन्ता, गन्नौर वाटर सर्विस सब डिवीजन सोनीपत और श्री सचिन, कनिष्ठ अभियन्ता, गन्नौर जल सेवा, उपमण्डल सोनीपत द्वारा किया जाना था। निरीक्षण करने पर गांव नांगल कलां के पास राजपुरा माईनर 1-एल के उपर से एक सडक का निर्माण हुडा विभाग सोनीपत द्वारा किया जाना पाया गया है। इस सडक निर्माण के सम्बन्ध में कार्यकारी अभियन्ता राई, जल सेवा मण्डल सोनीपत और हुडा विभाग सोनीपत से रिपोर्ट प्राप्त करने पर पाया गया कि दिनांक 04.04.12 को हुड्डा विभाग उपमण्डल-2 सोनीपत द्वारा कार्यकारी अभियन्ता जल सेवा मण्डल, सोनीपत को पत्र के माध्यम से इस सडक जो सैक्टर-63 व 64 को कुण्डली-गाजियाबाद-पलवल एक्सप्रेस-वे से जोडती है, और राजपुरा माईनर 1-एल के उपर से गुजरती है, के बारे अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे आग्रह किया जाना पाया गया है और यह मामला कार्यकारी अभियन्ता राई, जल सेवा मण्डल, सोनीपत द्वारा मुख्य अभियंता, यमुना जल सेवा, दिल्ली को भेजा जा चुका है। जिस सम्बन्ध में अनापति प्रमाण पत्र आना बकाया है। इस सडक का निर्माण कुण्डली-गाजियाबाद-पलवल एक्सप्रेस-वे के कार्य सहायता हेतू अस्थाई तौर पर किया जाना पाया गया। मुख्य अभियंता, यमुना जल सेवा, दिल्ली से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त होने उपरान्त हुड्डा विभाग द्वारा राजपुरा माईनर 1-एल पर पुलिया का निर्माण कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त राजपुरा माईनर 1-एल पर कई जगहो पर आने-जाने के लिये अवैध कच्चे रास्ते बने हुये पाये गये है और माईनर निर्माण में प्रयोग की गई ईंटे मौका से नदारद पाई गई है। जिससे माईनर को नुकसान हुआ है। इस नुकसान के सम्बन्ध में श्री प्रकाश, उप मण्डल अभियन्ता व श्री सचिन, कनिष्ठ अभियन्ता, गन्नौर जल सेवा, उपमण्डल सोनीपत द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नही लाई जानी पाई गई है। उप मण्डल अभियन्ता और कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वाहन सही प्रकार से नही किया गया है। इसलिये जांच अधिकारी द्वारा इनके विरूद्ध हरियाणा सिविल सेवाऐं नियमावली 1987 (दण्ड एंव अपील) के नियम 7 के तहत विभागीय कार्यवाही की जानी प्रस्तावित की है। जांच पर गांव नांगल कलां की पंचायती जमीन करीब 16,740 वर्ग गज जमीन पर टी0डी0आई0 कम्पनी द्वारा बिल्डिंग, ग्रीन बैल्ट, प्लाटिगं एरिया, पावर हाउस, पार्क, पेड-पौधे और पक्की सडके बनाई हुई है तथा गांव अटेरना की विवादित पंचायती जमीन करीब 13,218 वर्ग गज पर कम्पनी द्वारा प्लाटिंग, स्ट्रीट लाईटें, पक्की सडकें, सीवरेज आदि डालकर टी0डी0आई0 कम्पनी द्वारा खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों से मिलीभगत करके कब्जा करके धाराधीन 447,448,120बी0 भा0द0स0 का अपराध किया जाना पाया गया है। अतः टी0डी0आई0 कम्पनी व खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध धाराधीन 447,448,120बी0 भा0द0स0 के तहत अभियोग दर्ज किये जाने तथा तफतीश के दौरान यदि किसी अन्य की संलीप्ता पाई जाये तो उसे भी तफतीश के दौरान देख लिये जाने बारे अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के यादी क्र0 61/22/2017-2 चौकसी-II दिनांक 23.07.18 व महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो (ह0) पंचकुला के पृष्ठाकंन क्र0 10525/आई-6/रा0चौ0 ब्यूरो दिनांक 24.07.18 अनुसार मुकदमा दर्ज किये जाने के आदेश प्राप्त होने पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा मय अंतिम रिपोर्ट व मूल शिकायत फाईल, कथन फाईल, पुलिस फाईल व प्रलेख फाईल कुल 6 फाईले आपके पास भिजवाई जा रही है।(प्रमिला) निरीक्षक,राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक मण्डल रोहतक। अज थाना:- हस्ब आमद तहरीर के थाना में प्राप्त होने पर मु0 न0 11 दि0 27.07.2018 जुर्म जेर धारा 447,448,120 बी भा0द0स0 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक दर्ज रजिस्टर किया जाकर अफसरान बाला को बजरीया मेल दवारा सूचना दी गई। नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर मय अंतिम रिपोर्ट व मूल शिकायत फाईल, कथन फाईल, पुलिस फाईल व प्रलेख फाईल कुल 6 फाईले SP साहब द्वारा नियुक्त अनुसंधान अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक श्री नरेन्द्र सिंह राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक मण्डल, रोहतक के हवाले कि गई उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक प्रमिला की हाजरी मे दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Narinder Singh **Rank (पद):** Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): IPS **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Pushpa Khatri

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): HPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**